पैंतीसवा प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(13.12.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944(शक)

सीपीबी सं. 1 खंड XXXV

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए श्री तोखेहे येपथोमी से प्राप्त अभ्यावेदन। 1

परिशिष्ट

याचिका समिति की 12.12.2022 को हुई 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 40

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री बृजेन्द्र सिंह
9. श्री सुनील कुमार सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. श्री मनोज कुमार तिवारी
12. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
13. श्री राजन बाबूराव विचारे
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2.श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3.श्री तेनज़िन ज़लसन	-	उप सचिव

याचिका समिति का पैंतीसवा प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए श्री लोखेहे येपथोमी से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह पैंतीसवा प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 12 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में 35वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
12 दिसंबर, 2022
21 अग्रहायण, 1944 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए श्री तोखेहे येपथोमी से प्राप्त अभ्यावेदन।

श्री तोखेहे येपथोमी ने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए याचिका समिति के समक्ष दिनांक 28.01.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

2. अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि असम देश के उत्तर-पूर्वी भाग में एक राज्य है, जो उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश; पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अभ्यावेदनकर्ता ने आगे कहा है कि असम राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास किया है, जिसमें वानिकी, पर्यटन, बीमा, अचल संपत्ति और विविध कुटीर उद्योगों सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ कृषि इसकी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिसका इसकी अर्थव्यवस्था का 70% से अधिक हिस्सा है। भारत सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा वर्षों से कथित रूप से निरंतर उपेक्षा को देखते हुए विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास पर जोर दिया है। अभ्यावेदनकर्ता ने आगे कहा है कि पूरे क्षेत्र में तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की उपलब्धता के संबंध में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति हुई है। यह चिंता का विषय है कि वर्तमान में, इस क्षेत्र में स्थापित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस आवश्यक वस्तु की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान में, पूरे क्षेत्र में साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी और दुर्गम इलाके के मद्देनज़र भी सीएनजी या एच-सीएनजी स्टेशनों की संख्या निराशाजनक है। इसलिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के साथ-साथ इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड (पीएनजीआरबी) और सरकार द्वारा नियंत्रित तीन प्रमुख तेल कंपनियों अर्थात इंडियन ऑयल

कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दायरे में आता है, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर असम में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स और संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए हैं। तथापि, आज की तारीख तक प्रगति पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम की स्थानीय जनता की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है। अभ्यावेदनकर्ता ने उल्लेख किया है कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इन तेल कंपनियों को पर्याप्त निधियों के साथ ऐसी पाइपलाइन बिछाने की दिशा में पहले ही अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन कंपनियों ने समय-सारणी का सख्ती से पालन करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं और इसके परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों को इस संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अब, समय आ गया है जब तेल कंपनियों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ हो बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र भी फल-फूल सकें। इसलिए, अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में उठाए गए उपर्युक्त मुद्दों का निरीक्षण करके मामले की जांच करने का अनुरोध किया है।

3. याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) ने लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 95 के अधीन श्री तोखेहे येपथोमी के अभ्यावेदन की जांच की। तदनुसार, अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अभ्यावेदन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा गया था और इस मामले में अपने उचित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रश्नों की एक विस्तृत सूची भी अग्रेषित की गई थी।

4. श्री तोखेहे येपथोमी के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए समिति ने 2 जून, 2022 को गुवाहाटी का तत्स्थानिक अध्ययन किया। उक्त अध्ययन दौरे के दौरान समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

(एचपीसीएल) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

5. समिति ने प्राथमिक मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों को जानने की इच्छा व्यक्त की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:-

<u>इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.</u>

भारत सरकार का 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% करने का विजन है। भारत सरकार के विजन के अनुसार, इंडियनऑयल ने विभिन्न पहलें की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) इंडियनऑयल ने दाहेज, कोच्चि टर्मिनलों के साथ-साथ निर्माणाधीन टर्मिनलों अर्थात् धामरा और जाफराबाद टर्मिनलों पर गैस पुनर्भरण क्षमता बुक की है।

(ii) इंडियनऑयल ने दीर्घावधि आधार पर एलएनजी के आयात के लिए वैश्विक एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घावधि संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। दीर्घावधि के अलावा इंडियनऑयल स्पॉट आधार पर एलएनजी का भी आयात करता है।

iii) इंडियन ऑयल स्वयं और संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे गुजरात इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल), गुजरात इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जीआईटीएल) और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के माध्यम से क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन विकसित कर रहा है।

(iv) इंडियन ऑयल 49 भौगोलिक क्षेत्रों में अपने स्वयं और इंडियन ऑयल अदानी प्रा. लिमिटेड (आईओएजीपीएल) और ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) जैसे जेवीसी के माध्यम से नगर गैस वितरण नेटवर्क विकसित कर रहा है।

(v) जो ग्राहक गैस पाइपलाइनों से नहीं जुड़ें हुए हैं उन्हें इंडियन ऑयल सड़क मार्ग से टैंकरों के माध्यम से एलएनजी की आपूर्ति कर रहा है।

(vi) इंडियनऑयल राष्ट्रीय राजमार्गों पर एलएनजी स्टेशन भी विकसित कर रहा है।

इंडियनऑयल को अपने दो जेवीसी के साथ सीजीडी नेटवर्क का विकास और संचालन के लिए 49 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) का अधिकार प्रदान किया गया है। कंपनी-वार प्राधिकारों का

विवरण
नीचे दिया गया है:-

(i) ग्रीन गैस लिमिटेड [गेल (इंडिया) लिमिटेड सहित संयुक्त उद्यम]: 4 भौगोलिक क्षेत्र

(ii) इंडियनऑयल अदानी गैस प्रा. लिमिटेड (अडानी टोटल गैस लिमिटेड सहित संयुक्त उद्यम): 19 भौगोलिक क्षेत्र।

(iii) इंडियनऑयल (पृथक आधार): 26 गैस

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

भारतीय ऊर्जा समूह में प्राकृतिक गैस की 6.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भारत सरकार इसका अंश 2030 तक बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना तथा भारत को एक गैस आधारित अर्थनीति बनाना चाहती है। पुनर्गैसीकरण अवसंरचनाओं के सृजन, देश भर में स्थापित पाइपलाइनों द्वारा शहरी गैस वितरण नेटवर्क तथा डाउनस्ट्रीम ग्राहकों तक विपणन के द्वारा एचपीसीएल स्वयं को भारत की गैस मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है। एकल आधार पर एचपीसीएल को 8 राज्यों में 37 जिलों के लिए पीएनजीआरबी द्वारा 14 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए (11 वां/ 11ए चरण तक प्राधिकृत सहित) प्राधिकृत किया गया है। अपने संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ, एचपीसीएल की अखिल भारतीय स्तर पर 12 राज्यों एवं 48 जिलों सहित 23 भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थिति है। पीएनजी आरबी द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पीएनजी कनेक्शन, सीएनजी स्टेशन, स्टील पाइप ग्रिड का सृजन जो किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है, के अनुसार प्राधिकृत किए जाने पर सीजीडी संस्थाओं के लिए लक्ष्य होते हैं ।एचपीसीएल को वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रों, जहाँ कार्य प्रगति पर है, के लिए दिया गया लक्ष्य निम्नानुसार है:-

Figures in Nos.

राज्य	जिला	8वें वर्ष का लक्ष्य		
		कुल पीएनजी घरेलू कन्क्शन (संख्या)	स्टील पाइपलाइन (इंच किमी)	सीएनजी स्टेशनों की कुल संख्या
हरियाणा	जिंद सोनीपत	98000	1183	38
उत्तर प्रदेश	बरेली पीलीभीत रामपुर	145000	1200	140
उत्तर प्रदेश	एटा फर्रुखाबाद हरदोई	98000	1200	75
उत्तर प्रदेश	मैनपुरी और कन्नौज	60000	972	45
उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर और बदायूं	125000	950	75
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	बिजनौर और नैनीताल*	300000	NA	91
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी उत्तर दिनाजपुर *	690000	NA	125

पश्चिम बंगाल	हावड़ा हुगली	575000	900	100
पश्चिम बंगाल	नादिया, उत्तर 24 परगना	625000	1543	110
पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	300000	1552	65

'दो भौगोलिक क्षेत्रों, यानि - दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर एवं नैनीताल, बिजनौर भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, एमंडबल्यूपी अवधि 10 वर्षों की है तथा स्टील पाइपलाइन स्थापना (इंच किमी) के लिए कोई लक्ष्य नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजी आरबी) को एन्टीटीज़ को शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडी नेटवर्क) बिछाने, निर्माण संचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत करने हेतु प्रदान किया गया है, जिसके लिए वह बिछाने, निर्माण, संचालन या सीजीडी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एन्टीटीज़ से बोलियां मंगवाता है। बोली 5 मापदंडों पर की जाती है, जहां एन्टीटीज़ को प्रस्तावित बुनियादी ढांचे और परिवहन दर के लिए कोटेशन देना आवश्यक है:

(i) पीएनजी) डी (कनेक्शन 8 अनुबंध वर्षों के भीतर हासिल किया जाना है

(ii) 8 अनुबंध वर्षों के भीतर सीएनजी स्टेशनों की संख्या

(iii) 8 अनुबंध वर्षों के भीतर बिछाई जाने वाली इंच किलोमीटर स्टील पाइपलाइन

(iv) सीजीडी के लिए परिवहन दर

(v) सीएनजी के लिए परिवहन दर।

सीजीडी के लिए, सफल एन्टिटी द्वारा कोट की गई संख्या लक्ष्य बन जाती है जिसकी निगरानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस. नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा की जाती है।।बीपीसीएल और बीजीआरएल (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को 25 जीए के लिए पेट्रोलियम और 2 प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया है। बीपीसीएल और बीजीआरएल को अधिकृत जीए का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र का नाम	राज्य
1	सहारनपुर जिला	उत्तर प्रदेश
2	अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	
3	रूपनगर जिला	पंजाब
4	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	हिमाचल प्रदेश

5	यमुनानगर जिला	हरियाणा
6	रोहतक जिला	
7	सतना और शहडोल जिले	मध्य प्रदेश
8	सिद्धि और सिंगरौली जिले	
9	अहमदनगर और औरंगाबाद जिले	महाराष्ट्र
10	सांगली और सतारा जिले	
11	बेल्लारी और गडग जिले	कर्नाटक
12	बीदर जिला	
13	अंगुल और ढेंकनाल जिले	ओडिशा
14	जाजपुर और केंदुझर जिले	
15	बरगढ़, देबागढ़ और संबलपुर जिले	
16	जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले	
17	पलामू और चतरा जिले	झारखंड
18	दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर जिले	बिहार
19	गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और देवरिया जिले	उत्तर प्रदेश और बिहार
20	फाजिल्का (भाग), गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले	पंजाब और राजस्थान
21	नीलगिरी और इरोड जिले	तमिलनाडु
22	पुरुलिया और बांकुड़ा जिले	पश्चिम बंगाल
23	अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले	
24	लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महराजगंज जिले	(उत्तर प्रदेश)
25	कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले	(छत्तीसगढ़)

उपरोक्त के अलावा, बीपीसीएल को अपनी 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से 25 अतिरिक्त जीए में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया है। सीजीडी नेटवर्क के विकास के अलावा, बीपीसीएल प्राकृतिक गैस की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मौजूद है जो प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता ***करेगी। बीपीसीएल का अपनी रिफाइनरी खपत सहित 1521 टीएमटी प्राकृतिक गैस का विपणन करने और 2022-23 के दौरान 1.3 लाख पीएनजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। सीजीडी नेटवर्क के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे/बिंदु इस प्रकार हैं:-***

(i) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के सह-प्रवर्तक जिसके कोच्चि और दहेज में 2 एलएनजी आयात टर्मिनल हैं।

(ii) बीपीसीएल ने पीएलएल और स्वान टर्मिनल पर रीगैस क्षमता बुक की है और हम नियमित रूप से एलएनजी कार्गो का आयात करते हैं।

(iii) *स्वदेशी उत्पादन के लिए ओएनजीसी के साथ कावेरी बेसिन में उपस्थिति।*

(iv) *बीपीआरएल मोजाम्बिक एलएनजी परियोजना में भागीदार है।*

(v) *राम गैस एक्सॉन मोबाइल आदि जैसे अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध।*

(vi) *दो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जेवी कंपनियों अर्थात जीआईजीएल और जीआईटीएल में सह-प्रवर्तक।*

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बीपी विश्व ऊर्जा सांख्यिकी -2021 के अनुसार, भारतीय प्राथमिक ऊर्जा खपत बॉस्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7% है और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 24.7% है।प्राकृतिक गैस को विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और कम कार्बन उत्सर्जन विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। विशेष रूप से ग्रिड संतुलन क्षमताओं के संदर्भ में, प्राकृतिक गैस आधारित पॉवर तुरंत बढ़ाने और घटाने के अंतर्निहित लाभ होते हैं और इस प्रकार इनसे दुनिया भर में अक्षय स्रोतों को बढ़ाने में मदद मिलती है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) के अनुसार, प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में 46% कम सीओ2 और तरल ईंधन अर्थात् जारी ऊर्जा की प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) डीजल और पेट्रोल की तुलना में 28% कम कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जित करती है।इस प्रकार, सरकार देश भर में गैस ग्रिड तथा शहर गैस वितरण और एलएनजी पुनर्गेसीकरण टर्मिनल सहित अन्य गैस बुनियादी ढांचे को विकसित करके 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 76.7% से बढ़ाकर 15% करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप और वौद्रिक सहायता के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

अपस्ट्रीम क्षेत्र

(i) *एनईएलपी/पीएससी की जगह हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) / मुक्त क्षेत्रफल लाइसेंस नीति (ओएएलपी) की शुरुआत।*

(ii) *तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा: मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार करने और घरेलू हाइड्रोकार्बन के समग्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और एक कारगर पारिस्थितिकी तंत्र।*

(iii) *राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) की गैर-मुद्रीकृत खोजों के शीघ्र मुदीकरण के लिए अन्वेषित: लघु क्षेत्र नीति (डीएसएफ) नीति की शुरुआत। 2016 में शुरू किए गए डीएसएफ चरण में और अब तक, 02 डीएसएफ बोली चरण आयोजित किए जा चुके हैं और तीसरा चरण प्रगति पर है।*

(iv) गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम : डेटा अधिग्रहण, प्रोसेसिंग और व्याख्या (एपीआई) के लिए 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव।

(v) घरेलू प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य को अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जोड़ने के लिए नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 की शुरुआत।

(vi) 2016 में उच्च दबाव उच्च तापमान (एचपीएचटी), गहरे पानी और अत्यधिक गहरे पानी में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता, बशर्ते अधिकतम मूल्य निकाले गए वैकल्पिक ईंधन के आधार पर हो।

(viii) 2017 मै कोल सीम (सीबीएम) से प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता,

<u>मिडस्ट्रीम क्षेत्र:</u>

(i) गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए मौजूदा 18700 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के अलावा अतिरिक्त 17500 कि.मी. गैस पाइपलाइन और विभिन्न पाइपलाइन खंडों के विकास की आवश्यकता की पहचान की है। गेल वर्तमान में 13700 कि.मी. गैस पाइपलाइन का संचालन करता है और अतिरिक्त 5800 कि.मी. लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है।

(ii) प्राकृतिक गैस ग्रिड का निर्माण और जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) ऊर्जा गंगा के नाम से लोकप्रिय परियोजना के निर्माण के लिए 40% पूंजीगत सब्सिडी। पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाले जेएचबीडीपीएल का गुवाहाटी (बीजीपीएल) तक विस्तार)

(iii) 9265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चरणबद्ध तरीके से लगभग 1656 कि.मी. के पूर्वोत्तर भारत गैस ग्रिड को विकसित करने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी का गठन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया गैस ग्रिड के लिए 60% (5559 करोड़ रुपए) का पूंजीगत अनुदान स्वीकृत ।

<u>डाउनस्ट्रीम क्षेत्र:</u>

(i) उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस की पूलिंग के लिए नीति।

(ii) पीएनजीआरबी ने 11ए बोली दौर के तहत सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकार देने का कार्य पूरा कर लिया है। 11ए नगर गैस वितरण (सीजीडी) चरण के पूरा होने

के बाद, देशकी लगभग 98% आबादी को प्राकृतिक गैस की पहुंच प्रदान करने के लिए देश के लगभग 88% क्षेत्र को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया जाएगा।

(iii) भारत सरकार अपने संयुक्त उदयम सहायक सीजीडी कंपनियों तथा तेल और गैस कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिन्होंने 2024 तक (अक्तूबर 2019 के स्तर से) अतिरिक्त 1 करोड़ पीएनजी घरों को प्राप्त करने के लिए पीएनजी नेटवर्क के कवरेज का विस्तार करने की योजना बनाई है।

(iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 14.11.2013, 03.02.2014 और 20.08.2014 के दिशा-निर्देशी दद्वारा यह सुनिश्चित किया है कि पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) उद्देश्य के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को गैस आवंटन / आपूर्ति में कोई कटौती न की जाए।

अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में उपर्युक्त सभी नीतिगत उपायों में प्राकृतिक गैस ग्रिड और एलएनजी आयात टर्मिनलों के एकीकृत विकास के माध्यम से घरेलू गैस और आयात के मिश्रण से प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वर्तमान में भारत में 40 एमएमटीपीए की संयुक्त आयात क्षमता के साथ छह एलएनजी आयात टर्मिनल है। ये टर्मिनल दहेज, हजीरा, दाभोल कोच्चि, एन्नोर और मुद्रा में स्थित हैं। अतिरिक्त 22 एमएमटीपीए आयात क्षमता का धामरा, छारा, जयगढ़, जाफराबाद और दाभोल (विस्तार) में विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, अपरंपरागत मार्गों अर्थात् जैव-ईंधन, कोयला गैसीकरण, हाइड्रोजन उत्पादन आदि के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा गैस को व्यापक रूप से अपनाया जा सके:-

(i) पीएसयू तेल विपणन कंपनियों और गेल द्वारा संपीड़ित बायो गैस उत्पादकों के लिए निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने वाले बायो- सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए सतत योजना शुरू की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में सतत योजना के तहत संयंत्रों द्वारा उत्पादित सीबीजी के तालमेल के लिएं दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना में सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंड को आपूर्ति की गई कुल घरेलू गैस में सह-मिश्रित सीबीजी की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है।

(ii) तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गेल, सीआईएल, आरसीएफ और एफसीआईएल द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन ओडिशा के अंगुल जिले में एफसीआईएल की तालचर उर्वरक इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। इस परियोजना में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को नियोजित करके फीडस्टॉक के रूप में कोयले का उपयोग करते हुए 'नीम' लेपित प्रिल्ड यूरिया का 127 एमएमटीपीए का उत्पादन होगा। परियोजना के सितंबर 2023 तक चालू होने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हाइड्रोजन मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसमे ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन के अधिक से अधिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विभिन्न ओएमसीज के माध्यम से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीएनजी में सम्मिश्रण और परिवहन ईंधन के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग दोनों के लिए ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू कर रहा है। गेल प्राकृतिक गैस के पूरक विकल्प के रूप में हरि हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 10 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर भी स्थापित कर रहा है।

6. 'प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण' पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

ऊर्जा मिश्रण विभिन्न प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों का एक समूह है जिसका उपयोग सीधे तौर पर निश्चित क्षेत्रों में किया जाता है और प्रत्यक्ष उपयोग के लिए माध्यमिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जैसे बिजली। ईंधन द्वारा भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत: 2020 (प्राथमिक ऊर्जा में व्यावसायिक रूप से - कारोबारी ईंधन शामिल हैं, जिसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा सम्मिलित है)।

(मिलियन टन तेल समकक्ष)

तेल	प्राकृतिक गैस	कोयला	परमाणु ऊर्जा	जल विद्युत	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल
215.5	**51.2**	**418.9**	**9.5**	**34.7**	**34.2**	**763.9**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

किसी भी देश के अर्थनैतिक विकास के लिए प्रमुख तत्वों में से ऊर्जा एक है। प्रथमिक ऊर्जा स्रोत वो होते. हैं, जो कि प्रकृति से प्राप्त अथवा उसमें भंडारित होते हैं। सामान्य प्राथमिक ऊर्जा के स्रोतों में है - कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा आदि। भारत के मामले में, ऊर्जा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के कारण, उनकी पूर्ति हेतु बहुत बड़े निवेशों की आवश्यकता होती है। सन 2000 के बाद से राष्ट्र की ऊर्जा खपत दुगुनी से अधिक हो गई है, जो कि बढ़ती आबादी एवं त्वरित अर्थनैतिक वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2020 के लिए भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत निम्नांकित है:

	एक्साजूल	अंश (%)
कोयला	17.5	54.8
तेल	9.02	28.2
प्राकृतिक गैस	2.15	6.7
नाभिकीय	0.4	1.3
जलीय	1.45	4.5
अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	1.43	4.5
कुल:	**31.95**	**100**

भारत की ऊर्जा आवश्यकता की 80% से अधिक पूर्ति तीन ईंधनों यानि कोयला, तेल एवं ठोस बायोमास द्वारा की जाती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक कोयला उत्पाद करने वाला देश

है तथा ऊर्जा उत्पत्ति व उद्योग में कोयले का अधिक उपयोग किया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में तेल का अंश लगभग 28% है। तेल का सर्वाधिक उपयोगकर्ता परिवहन क्षेत्र है। भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का अंश लगभग 6.79% है। खाद उद्योग देश में गैस का सर्वाधिक उपयोगकर्ता है। परम्परागत बायोमास प्राथमिक तौर पर जलाने की लकड़ी, पर साथ ही में पशुओं के अवशिष्ट एवं लकड़ी का कोयला सन 2000 तक कोयले के बाद सबसे बड़े ऊर्जा के स्तोत हुआ करते थे। उसके बाद से ऊर्जा की आवश्यकता दुगुनी से अधिक हो गई है, पर ऊर्जा मिश्रण में परम्परागत बायोमास का अंश मुख्यतया आधुनिक खाना पकाने के ईंधन, विशेष तौर पर एलपीजी की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास के कारण घटता जा रहा है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा प्रमुख इनपुट में से एक है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या संग्रहीत होते हैं। सामान्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और बायोमास (जैसे लकड़ी) हैं। उपलब्ध अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में रेडियोधर्मी पदार्थों से परमाणु ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संग्रहीत तापीय ऊर्जा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण संभावित ऊर्जा शामिल हैं। भारत के मामले में, ऊर्जा क्षेत्र लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए एक विशेष महत्व रखता है। देश में ऊर्जा की खपत 2000 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है, जो बढ़ती आबादी और तेजी से आर्थिक विकास के कारण ऊपर की ओर बढ़ी है। भारत की 80% से अधिक ऊर्जा जरूरतों को तीन ईंधनों: कोयला, तेल और ठोस बायोमास द्वारा पूरा किया जाता है। कोयले ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जबकि वायु प्रदूषण और बढ़तेजीएचजी उत्सर्जन में भी योगदान दिया है। परंपरागत बायोमास मुख्य रूप से ईंधन की लकड़ी लेकिन पशु अपशिष्ट और लकड़ी का कोयला कोयले के बाद 2000 में भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत था, जो प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण का लगभग एक चौथाई था। तब से कुल मिलाकर ऊर्जा की मांग दोगुनी हो गई है, लेकिन ऊर्जा मिश्रण में पारंपरिक बायोमास का हिस्सा काफी हद तक आधुनिक खाना पकाने के ईंधन, विशेष रूप से एलपीजी की पहुंच में सुधार के प्रयासों के परिणामस्वरूप घट रहा है।भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत, 2020 नीचे दी गई है: -

	यूनिट (एमटीओई)	तेल	प्राकृतिक गैस	कोयला	परमाणु उर्जा	हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल
प्रतिशत हिस्सा	%	27.63	6.76	55.27	1.25	4.58	4.51	100
प्रति व्यक्ति खपत	Toe	0.15	0.04	0.30	0.01	0.03	0.02	0.55

नोट: एमटीओई= मिलियन टन तेल के बराबर ।

बढ़ते वाहन स्वामित्व और सड़क परिवहन के उपयोग के परिणामस्वरूप 2000 से तेल की मांग दोगुनी से अधिक हो गई है। एलपीजी ने भीतेल की मांग में वृद्धि में आंशिक रूप से योगदान दिया है, क्योंकि खाना पकाने के अनुप्रयोगों में इसके उपयोग को सरकार द्वारा सब्सिडी और बढ़ावा दिया गया है।

गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

बीपी विश्व ऊर्जा सांख्यिकी-2020 के अनुसार, भारतीय प्राथमिक ऊर्जा खपत बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7% है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की खपत (एमटीओई में) और भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में उनका हिस्सा नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

वर्ष-2020	तेल	प्राकृतिक गैस	कोयला	परमाणु ऊर्जा	हाइड्रो इलेक्ट्रिक	नवीनीकरण ऊर्जा	कुल
भारत.	216	51	419	9	35	34	764
एनर्जी बास्केट में हिस्सेदारी	28.2%	6.7%	54.8%	1.2%	4.5%	4.5%	100.0%

7. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रदान करके शहर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों के पहलू पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा:-

<u>इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.</u>

इंडियनऑयल और उसके संयुक्त उद्यमों के पास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सीजीडी का कोई प्राधिकार नहीं है। सीएनजी का विपणन नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों द्वारा मौजूदा खुदरा बिक्री केंद्र के माध्यम से या तो ओएमसीज द्वारा या उनके द्वारा स्थापित अपने स्वयं के पृथक सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है। यदि सीजीडी कंपनी द्वारा सीएनजी सुविधा जोड़ने के लिए अनुमोदन/ सांविधिक अनुमति प्रदान करने के तहत इसे व्यावहारिक पाया जाता है तो मौजूदा आईओसीएल खुदरा बिक्री केंद्र पर सीएनजी सुविधा प्रदान की जाती है। आईओसीएल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने खुदरा बिक्री केंद्र पर सीएनजी स्टेशनों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा खुदरा बिक्री केंद्र पर अधिकृत सीजीडी कंपनियों, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र (जीए) आवंटित किए गए हैं, को जगह प्रदान करने के लिए उत्सुक है। 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सीएनजी सुविधा वाले आईओसीएल खुदरा बिक्री केंद्र की संख्या नीचे दी गई है:

01.04.2022 को सीएनजी सुविधा वाले आईओसीएल आरओ की संख्या		
क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य	आरओ की संख्या
1	असम	0
2	त्रिपुरा	14
3	नागालैंड	0
4	मिजोरम	0
5	अरुणाचल प्रदेश	0

6	मेघालय	0
7	मणिपुर	0
8	सिक्किम	0
	सिक्किम सहित कुल पूर्वोत्तर राज्य	**14**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का विपणन सिटी गैस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) कम्पनियों द्वारा ओएमसी द्वारा वर्तमान रिटेल आउटलेटों अथवा उनके अपने द्वारा स्थापित एकल सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से किया जाता है। सीडीजी कम्पनी द्वारा औचित्य के निर्धारण पर, एचपीसीएल के रिटेल आउटलेटों पर सीएनजी की सुविधा दी जाती है, जो कि सीएनजी सुविधा के योग हेतु अनुमोदन / सांविधिक अनुमतियों पर आधारित होती है। दिनांक 01.04.2022 को, सिक्किम सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में सीएनजी सुविधा सम्पन्न एचपीसीएल के रिटेल आउटलेटों की संख्या निम्नवत है:

क्र. सं.	**उत्तर पूर्वी राज्य**	**01.04.2022 तक सीएनजी सुविधा सम्पन्न एचपीसी के आरओ की संख्या**
1	असम	0
2	त्रिपुरा	2
3	नागालैंड	0
4	मिजोरम	0
5	अरुणाचल प्रदेश	0
6	मेघालय	0
7	मणिपुर	0
8	सिक्किम	0
	सिक्किम सहित कुल उत्तर पूर्वी राज्य	**2**

आज की तारीख में एचपीसीएल के पास सीजीडी प्रचालनों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएनजीआरबी द्वारा कोई प्राधिकार नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और किसी विशेष क्षेत्र में घरों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन) प्रदान करना सीजीडी कंपनी के दायरे में आता है जिसे पीएनजीआरबी द्वारा संबंधित भौगोलिक क्षेत्र (जीए) आवंटित किया गया है। सीजीडी कंपनी (i) स्वतंत्र रूप से स्टैंडअलोन आधार पर या (ii) ओएमसी के मौजूदा रिटेल आउटलेट में सीएनजी स्टेशन स्थापित करती है और अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में परिवारों को पीएनजी कनेक्शन भी प्रदान करती है। बीपीसीएल या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बीजीआरएल (भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड) को उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई भौगोलिक क्षेत्र (जीए) आवंटित नहीं किया गया है। तथापि, पीएनजी आरबी से प्राधिकरण प्राप्त सीजीडी कंपनी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर मौजूदा बीपीसीएल रिटेल आउटलेट्स पर सीएनजी सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जो आगे सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा सीएनजी सुविधाओं को जोड़ने के लिए अनुमोदन/अनुमति देने के अधीन है। बीपीसीएल के त्रिपुरा मेंअपने रिटेल आउटलेट्स पर 2 सीएनजी ऑपरेटिंग स्टेशन हैं (त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड) और पूर्वोत्तर राज्यों में 19 अन्य रिटेल आउटलेट साइटों की पेशकश की है, जिनमें से गुवाहाटी में 6 रिटेल आउटलेट अधिकृत सीजीडी कंपनी मेसर्स एजीसीएल (असम गैस कंपनी लिमिटेड) द्वारा अनुमोदित हैं।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(i) पूर्बा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल), जो असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और गेल गैस लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, को पीएनजीआरबी द्वारा 9वें सीजीडी बोली चरण में कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों तथा कामरूप और कामरूप महानगरीय जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के विकास के लिए अधिकृत किया गया है। पीबीजीपीएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है:

(ii) गेल (इंडिया) लिमिटेड की बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से कामरूप और कामरूप महानगरीय जिला भौगोलिक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी, जो अभी भी निर्माणाधीन है और इसके 2023 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है। गैस स्रोत के अभाव में, पीबीजीपीएल वर्तमान में एमडीपीई पाइपलाइनों के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और मार्ग सर्वेक्षण पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पीबीजीपीएल ने सीएनजी स्टेशनों अर्थात् - कैसकेड, बूस्टर कंप्रेसर, ऑनलाइन कंप्रेसर आदि के लिए अपेक्षित कई आवश्यक उपकरण पहले ही खरीद लिए हैं। समग्र कार्य निविदा के तहत सीएनजी स्टेशन के निर्माण के लिए कार्य संविदा पहले ही प्रदान की जा चुकी है और ईपीएमसी मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा स्टील पाइप बिछाने की निविदा की समीक्षा की जा रही है। कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, पीबीजीपीएल वर्तमान में ओएनजीसी से

गेल के माध्यम से प्राकृतिक गैस खरीद रहा है, और लगभग 382 घरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री शुरू कर चुका है।

(iii) त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल), जो गेल (इंडिया) लिमिटेड, त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (त्रिपुरा उपक्रम की सरकार) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (असम उपक्रम की सरकार) का एक संयुक्त उद्यम है, को पीएनजीआरबी द्वारा अगरतला, गोमती और पश्चिम त्रिपुरा के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अधिकृत किया गया है। टीएनजीसीएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार टीएनजीसीएल ने उपर्युक्त 3 भौगोलिक क्षेत्रों में कुल 24 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके अलावा, टीएनजीसीएल 54,724 परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी भी प्रदान कर रहा है जिसमें अगरतला में 44,738 परिवार और पश्चिम त्रिपुरा जिले के 9,986 परिवार शामिल हैं। गोमती जिले में स्टील नेटवर्क और पीएनजी कनेक्टिविटी का विकास अभी शुरू होना है क्योंकि टीएनजीसीएल को सीजीडी विस्तार के लिए आवश्यक पीएनजीआरबी निर्दिष्ट शुष्क गैस अभी प्राप्त होनी है। शुष्क गैस मिलने के बाद, गोमती जिले में डीपीएनजी कनेक्शन का काम शुरू हो जाएगा और टीएनजीसीएल पीएनजीआरबी को प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार गोमती जिले में 11,514 डीपीएनजी कनेक्शन प्रदान करेगा।

8. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की भूमिका के बारे में एक प्रासंगिक प्रश् न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल और बीपीसीएल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

आईओसीएल और इसके जेवीसी के पास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सीजीडी के लिए कोई प्राधिकार नहीं है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

एचपीसीएल: सरकार ने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता को घटाने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार ने ऊर्जा समूह में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्ष बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) सीजीडी नेटवर्कों, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को प्राधिकृत करता है, शुल्क निर्धारित करता है, तकनीकी और सुरक्षा मानकों आदि को निर्धारित करता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्राकृतिक गैस की अधिक खपत के लिए मौलिक संरचनाओं का सृजन करना, एक पारदर्शी और सक्रिय प्राकृतिक गैस बाजार का सृजन करना और उपभोक् ताओं, परिवहनकर्ताओं और प्राकृतिक गैस के उत्पादकों के हितों को संतुलित करना है।

भारत पेट्रोलियम ऑफ इंडिया लिमिटेड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) कोएन्टीटीज़ को शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडी नेटवर्क) बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत करने हेतु अनिवार्य बनाया गया है, जिसके लिए वह विछाने, निर्माण, संचालन या सीजीडी नेटवर्क का विस्तार के लिए एन्टीटीज से बोलियां मंगवाता है। वह क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिसे भौगोलिक क्षेत्र (जीए) कहा जाता है जिसके लिए पीएनजीआरबी प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित करता है, सफल एन्टिटी को इस जीए में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु 25 वर्षों के लिए भौतिक विशिष्टता के साथ प्राधिकरण प्राप्त होता है।

9. समिति ने यह भी जानना चाहा कि देश में विशेषरूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और प्रचालन के लिए विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के साथ सीजीडी का किस हद तक अभिसरण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडियन ऑयल और उसके जेवीसी के पास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सीजीडी का कोई प्राधिकार नहीं है। आईओसीएल सीएनजी स्टेशनों के विस्तार/ स्थापना के लिए सीजीडी कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है, अपने खुदरा बिक्री केंद्र साइटों का प्रस्ताव कर रहा है। सीजीडी फर्मों के साथ सहयोग और सामंजस्य स्थापित करके देश भर में आईओसीएल खुदरा बिक्री केंद्र पर 01.04.2022 को 1488 सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में आईओसीएल खुदरा बिक्री केंद्र पर 14 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एचपीसीएल सीजीडी कम्पनियों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसके लिए यह अपने रिटेल आउटलेटों को सीएनजी स्टेशनों के विस्तार हेतु प्रस्तावित कर रहा है। सीजीडी फर्मों के साथ सहयोग के माध्यम से 01.04.2022 तक देश भर में एचपीसीएल के 1087 रिटेल आउटलेटों में सीएनजी व्यवस्था प्रावधानित की जा सकी है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में एचपीसीएल के 2 रिटेल आउटलेट है, जिनमें 01.04.2022 तक सीएनजी व्यवस्था प्रावधानित है। अभी तक, एचपीसीएल के पास पूर्वोत्तर राज्यों में सीएनजी प्रचालनों हेतु पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृति नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बीपीसीएल सीएनजी स्टेशनों के विस्तार के लिए अपने रिटेल आउटलेट साइटों की पेशकश करते हुए सीजीडी कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है। सीजीडी फर्मों के सहयोग से, 01.04.2022 तक देश भर में बीपीसीएल रिटेल आउटलेट्स पर 1132 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बीपीसीएल के त्रिपुरा में रिटेल आउटलेट्स पर 2 सीएनजी ऑपरेटिंग स्टेशन है (त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड)। इसके अलावा, बीपीसीएल ने सीएनजी सुविधाएं लगाने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 19 लोकेशनों का प्रस्ताव दिया है।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पीबीजीपीएल ने खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) मॉडल के तहत 7 सीएनजी स्टेशन के निर्माण के लिए आईओसीएल के साथ समझौता किया है और आरओ मॉडल के तहत सीएनजी स्टेशनों के निर्माण के लिए एचपीसीएल के साथ एक समझौता अपने अंतिम चरण में है। इसी प्रकार, टीएनजीसीएल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार टीएनजीसीएल ने अपने आरओ में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ सीएनजी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, टीएनजीसीएल ने उपर्युक्त ओएमसीज के आरओ में अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 17 सीएनजी स्टेशन पूरे कर लिए हैं। इन 17 सीएनजी स्टेशनों में से 12 आईओसीएल आरओ में, 3 बीपीसीएल आरओ में और 2 एचपीसीएल आरओ में स्थापित किए गए हैं।

10. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लक्ष्यों के साथ विभिन्न प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा स्थापित सीएनजी स्टेशनों की कुल संख्या के संबंध में एक पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

01.04.22 तक, आईओसीएल के पास 14 सुविधा केंद्र हैं जो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में 14 खुदरा बिक्री केंद्रों में स्थित हैं। ये सभी 14 सीएनजी स्टेशन अधिकृत संस्था मैसर्स त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अभी तक, एचपीसीएल के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीजीडी प्रचालन के लिए पीएनजीआरबी द्वारा कोई प्राधिकार नहीं है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्तमान में बीपीसीएल के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है। तथापि, बीपीसीएल सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए विभिन्न प्राधिकृत संस्थाओं को अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की पेशकश कर रहा है।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पीबीजीपीएल और टीएनजीसीएल द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है:

एमडब्ल्यूपी की तुलना में पीबीजीपीएल और टीएनजीसीएल द्वारा पूरा किए गए सीएनजी स्टेशनों की संख्या नीचे दी गई है:

भौगोलिक क्षेत्र का नाम	**सीजीडी कंपनी**	**एमडब्ल्यूपी के अनुसार स्टेशन (संख्या)**	**उपलब्धि (संख्या)**
अगरतला	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	7
कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले	पूर्ब भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	21**	0
कामरूप और कामरूप महानगर जिले	पूर्ब भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	51**	0
गोमती जिला	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	6	9
पश्चिम त्रिपुरा (ईएएए) जिला	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	6	8

** पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकार की तारीख से 08 वर्षों के लिए एमडब्ल्यूपी

कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सीजीडी परियोजना की आरंभ तिथि को पीएनजीआरबी द्वारा इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के बीजीपीएल और स्टील नेटवर्क के पूरा न होने के कारण 01.01.2022 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए गैस का प्राथमिक स्रोत है। बीजीपीएल के पूरा न होने के कारण कामरूप और कामरूप महानगरीय जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए परियोजना शुरू होने की तारीख बढ़ाने के लिए पीबीजीपीएल द्वारा पीएनजीआरबी से इसी तरह का अनुरोध किया गया है, जो इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए गैस का प्राथमिक स्रोत होगा।

11. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों [अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा] में सीएनजी स्टेशनों की उपलब्धता इष्टतम स्तर पर है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीजीडी संस्थाओं द्वारा सीएनजी स्टेशनों को उनकी कार्य योजना और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार स्थापित किया जाता है। 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, त्रिपुरा राज्य में स्थित इन सभी 14 सीएनजी स्टेशनों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में आईओसीएल खुदरा बिक्री केंद्र पर कुल 14 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अभी तक एचपीसीएल के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीजीडी प्रचालनों के लिए पीएनजीआरबी द्वारा कोई प्राधिकार नहीं है। 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, एचपीसीएल द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 2 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी सुविधा उपलब्ध है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

1.04.2022 की स्थिति के अनुसार, बीपीसीएल के पास पूर्वोत्तर राज्यों में 2 सीएनजी स्टेशन हैं और इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएनजी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 19 स्थानों की भी पेशकश की है। बीपीसीएल के पास पूर्वोत्तर राज्यों में सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है।

12. समिति ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बॉटलिंग क्षमता के साथ-साथ बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या के बारे में जानना चाहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

01.05.2022 को बॉटलिंग क्षमता (राज्य-वार और कंपनी-वार):

राज्य का नाम	आईओसीएल		एचपीसीएल		बीपीसीएल		उद्योग कुल	
	बीपी की सं.	बॉटलिंग क्षमता टीएमटी में	बीपी की सं.	बॉटलिंग क्षमता टीएमटी में	बीपी की सं.	बॉटलिंग क्षमता टीएमटी में	बीपी की सं.	बॉटलिंग क्षमता टीएमटी में
त्रिपुरा	1	120	0	0	0	0	1	120
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	6	593	1	30	1	66	8	689
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	1	11	0	0	0	0	1	11
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	1	60	0	0	0	0	1	60
कुल	**9**	**784**	**1**	**30**	**1**	**66**	**11**	**880**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एचपीसीएल का असम राज्य के गोलपाड़ा में 30 टीएमटीपीए की क्षमता वाला एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(i) असम में आईओसीएल के 6 एलपीजी संयंत्र (गोपानारी, दुलियाजान, सारपाड़ा (गुवाहाटी), उत्तरी गुवाहाटी, बोंगाईगांव, सिलचर) हैं जिनकी संयुक्त क्षमता 676 टीएमटीपीए है। इसके अलावा, असम के नौगांव में 25 टीएमटीपीए के साथ एक पीएमसी से बॉटलिंग सहायता ली जाती है।

(ii) बीपीसीएल असम में 60 टीएमटीपीए की क्षमता वाले नुमालीगढ़ रिफाइनरी एलपीजी संयंत्र से आपूर्ति लेता है। इसके अलावा गुवाहाटी के खेतड़ी में एक पीएमसी से बॉटलिंग सहायता ली जा रही है, जिसकी क्षमता 6 टीएमटीपीए है।

(iii) एचपीसीएल का एक नया संयंत्र मटिया, असम है जिसकी क्षमता 30 टीएमटीपीए है।

(iv) आईओसीएल का किमिन, अरुणाचल प्रदेश में 13 टीएमटीपीए क्षमता वाला एक संयंत्र, सेकमाई, मणिपुर में 36 टीएमपीटीए क्षमता वाला एक संयंत्र, दीमापुर, नागालैंड में 13 टीएमटीपीए क्षमता वाला एक संयंत्र और अगरतला, त्रिपुरा में 25 टीएमटीपीए क्षमता वाला एक नया संयंत्र है।

13. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या और/अथवा बॉटलिंग क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आज की तारीख में, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम सहित) में, निजी बॉटलर (880 टीएमटी) से बॉटलिंग सहित ओएमसीज की कुल बॉटलिंग क्षमता मांग (702.6 टीएमटी) से अधिक है। इसके अलावा, ओएमसीज द्वारा नियोजित पूर्वोत्तर में बॉटलिंग क्षमता वृद्धि निम्नानुसार दी गई है:

क. स्वीकृत परियोजनाएं

i. आईओसीएल उमियम (मेघालय) में 30 टीएमटीपीए की क्षमता वाले बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण कर रहा है।
ii. बीपीसीएल मटिया, असम में 30 टीएमटीपीए की क्षमता का भी निर्माण कर रहा है।

जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर (असम सहित) में कुल बॉटलिंग क्षमता मौजूदा 880 टीएमटीपीए से बढ़कर 940 टीएमटीपीए हो जाएगी।

ख. अनुमोदन/अंतिम रूप दिए जाने के अधीन परियोजनाएं

i. आईओसीएल द्वारा मिजोरम राज्य के मुआलखांग में 30 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र को ढहाने और पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव पहले से ही अनुमोदन के अधीन है।

ii. नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश में आईओसीएल के लिए 12 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग के लिए निविदा आमंत्रित की गई है जिसे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.05.2022 है।

इस प्रकार, ऊपर क और ख में परियोजना के अनुमोदन/अंतिम रूप देने पर, पूर्वोत्तर (असम सहित) में कुल बॉटलिंग क्षमता बढ़कर 982 टीएमटीपीए हो जाएगी और अतिरिक्त क्षमता 2024 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर में ओएमसीज की बॉटलिंग क्षमता निम्नानुसार होगी:

		बॉटलिंग क्षमता (टीएमटीपीए)									टिप्पणियां
		मौजूदा				निर्माणाधीन					
		आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	कुल	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	कुल		
	असम	593	56	30	9	0	30	0	30	719	लियाजन में ओआईएल इंडिया से बॉटलिंग, प्राइवेट बॉटलर्स बॉटलिंग और मटिया असम में निर्माणाधीन बीपीसीएल बीपी शामिल हैं।
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0		12	0	0	12	12	ईओसीएल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई
	मणिपुर	60	0	0		0	0	0	0	60	
	मेघालय	0	0	0		30	0	0	30	30	निर्माणाधीन
	मिजोरम	0	0	0		30	0	0	30	30	अनुमोदन के अधीन
	नागालैंड	11	0	0		0	0	0	0	11	
	त्रिपुरा	120	0	0	0	0	0	0	0	120	
	कुल	**784**	**56**	**30**	**0**	**72**	**30**	**0**	**102**	**982**	

इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा बॉटलिंग क्षमता पहले से ही मौजूदा मांग से अधिक है और ऊपर बताए अनुसार नए बॉटलिंग संयंत्र के बनने से इसमें काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा, बॉटलिंग क्षमता वृद्धि, ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड, एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें क्षेत्र में मांग के रुझान के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2020-21 के दौरान, असम राज्य के गोलपारा में एचपीसीएल ने 30 टीएमटीपीए क्षमता वाला एक बॉटलिंग संयंत्र प्रारंभ किया है। पूर्वी राज्यों में एचपीसीएल की एलपीजी की मांग 28 टीएमटीपीए है। अतः असम राज्य के गोलपारा का 30 टीएमटीपीए क्षमता वाला बॉटलिंग संयंत्र इस वर्तमान मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। बॉटलिंग क्षमता की वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसका अंतिमिकरण उस क्षेत्र की मांग के रुझान के अनुसार किया जाता है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2021-22 में पूर्वोत्तर में बीपीसीएल से पैक्ड एलपीजी की मांग 64.6 टीएमटी थी। इसके परिणामस्वरूप यह 2022-23 में 68 टीएमटी, 2023-24 में 72 टीएमटी और 2024-25 में 76 टीएमटी और 2025-26 तक 80 टीएमटी तक होने जा रहा है: –

(i) इसे पूरा करने के लिए, बीपीसीएल ने मटिया, जिला: गोलापारा, असम में भूमि खरीदी है और 30 टीएमटी पीए की क्षमता वाला एक नया एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करेगा जो अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा।

(ii) एनआरएल अगले 2 वर्षों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 70 टीएमटीपीए करने जा रही है। इसके अलावा एनआरएल असम में 120 टीएमटीपीए की उत्पादन क्षमता वाले एक नए एलपीजी संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रहा है, जिसके अगले 5 वर्षों में आने की संभावना है।"

14. तत्पश्चात, समिति ने सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना के बारे में विशेष रूप से पूछताछ की और एक संक्षिप्त नोट की इच्छा व्यक्त की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :–

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल), आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, ओआईएल और एनआरएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें सभी की समान इक्विटी है, को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है जो 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम में व्याप्त 4.75 एमएमएससीएमडी की डिजाइन क्षमता वाली लगभग 1656 कि.मी. लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड है। परियोजना को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत के लिए 09 फरवरी 2016 को पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जारी करने और 19 जून 2018 को जेवीसी के गठन के लिए नीति आयोग से अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 20 जुलाई 2018 को समान इक्विटी योगदान के साथ पांच पीएसयू द्वारा एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) पाइपलाइन परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) का निगमन 10 अगस्त 2018 को किया गया था। एनईजीजी

की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 09 फरवरी 2019 को रखी गई थी और आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने एनईजीजी परियोजना के लिए 5,559 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर वित्त-पोषण/ पूंजीगत अनुदान (परियोजना की कुल अनुमानित लागत अर्थात् 9,265 करोड़ रुपए का 60%) को मंजूरी दी थी। पीएनजीआरबी से एनईजीजी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतिम प्राधिकार 17 नवंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। 1656 कि.मी. एनईजीजी पाइपलाइन में से लगभग 105 कि.मी. पाइपलाइन नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा जिलों से होकर गुजरेगी।

(क) **एनईजीजी की स्थिति और नागालैंड में गैस ग्रिड स्थापित करने हेतु मुख्य कार्यकलाप :**

भौतिक प्रगति	45.03 %	
वित्तीय प्रगति	21.27 %	
वास्तविक व्यय	मार्च '22 तक: 1906.01 करोड़ रुपए	अप्रैल '22: 64.65 करोड़ रुपए
प्रतिबद्धता	4620 करोड़ रुपए	

(ख) **गुवाहाटी-डेरगांव -दीमापुर खंड:**

i. 316 कि.मी. वेल्डिंग, 263 कि.मी. लोअरिंग और 43 कि.मी. हाइड्रो-परीक्षण के पूरा होने के साथ गुवाहाटी-डेरगांव खंड की निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं।

ii. डेरगांव-दीमापुर खंड के लिए लाइन पाइप और पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी को ऑर्डर दिया गया। निर्माण गतिविधियाँ मई 2022 में शुरू होने वाली हैं।

iii. जिला गोलाघाट में दरगांव-दीमापुर खंड बिछाने के लिए 79.53 हेक्टेयर वन मंजूरी प्रतीक्षित है।

(ग) **दीमापुर-कोहिमा-इंफाल:**

i. परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को 07 जनवरी '22 को मैसर्स वीसीएस क्वालिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया।

ii. लाइन पाइप की खरीद के लिए दिनांक 28.04.2022 को निविदा आमंत्रित की गई। जुलाई '22 तक लाइन पाइप और पाइप लाइन बिछाने के कार्यों के लिए ऑर्डर दिया जाना है।

iii. निर्माण गतिविधियां सितंबर 2022 तक शुरू होनी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-02 (पुराना एनएच-39) के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) में पाइपलाइन बिछाने के लिए 18.10.2022 को एनएचआईडीसीएल से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लाइसेंस शुल्क और बीजी जमा किया गया। अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एचपीसीएल नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी में पार्टनर नहीं है, जबकि बीपीसीएल इस प्रॉजेक्ट में शामिल नहीं है।

15. जब समिति ने पूछा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रशासनिक, पर्यावरणीय, भूमि और भूभाग के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रिड को पूरा करने के लिए अनंतिम समय सीमा क्या हो सकती है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(क) पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जेवीसी, आईजीजीएल के अंतर्गत क्रियान्वयनाधीन)

इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को 10 अगस्त, 2018 को पांच भागीदारों: आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, ओआईएल, और एनआरएल से समान इक्विटी योगदान के साथ निगमित किया गया है। पूर्वोत्तर गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना की परिकल्पना पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अनुरूप की गई थी, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 09 फरवरी, 2016 को जारी किया गया था ताकि 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा सके। 4.75 एमएमएससीएमडी की क्षमता वाली 1656 कि.मी. लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड पूर्वोत्तर भारत के चुनौतीपूर्ण भू-भाग से होकर गुजरती है और गुवाहाटी को राजधानी/ ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इंफाल, आइजोल, अगरतला, शिलांग, सिलचर, गंगटोक और नुमालीगढ़ जैसे क्षेत्र के प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। पूर्वोत्तर

भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अनुसार, एनईजीजी परियोजना बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ती है, जिसे गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पूर्वी भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एनईजीजी के लाभ:

i. पूर्वोत्तर क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता का लाभ उठाना;
ii. औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, परिवहन क्षेत्रों आदि के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाना;
iii. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

(ग) संभावित ग्राहक:

एंकर औद्योगिक ग्राहक या बड़े उपभोक्ता जिसमें बिजली क्षेत्र, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन आदि शामिल हैं और नगर गैस वितरण उपभोक्ता जिसमें पीएनजी (घरेलू, उद्योग और वाणिज्यिक खंड) और सीएनजी (परिवहन खंड) शामिल हैं।

पाइपलाइन मार्ग खंड में विभिन्न खंडों का विवरण:

चरण	खंड का नाम	खंड की लंबाई (कि.मी.)	कुल लंबाई (कि.मी.)	व्यास (इंच)	पाइपलाइन निर्माण का लक्ष्य प्रारंभ	लक्ष्य समापन
I	गुवाहाटी-तुमालीगढ़	386	413	24	जनवरी 2021	मार्च 2023
	गोहपुर-ईटानगर	27		8	मार्च 2022	सितम्बर 2023
	सिलचर-पनीसागर	112	234	18	नवंबर 2021	सितम्बर 2023
	पानीसागर-अगरतला	118		12	नवंबर 2021	सितम्बर 2023
	खुबल फीडर लाइन	3.6				
II	दरगांव-दीमापुर	128	621	12	मार्च 2022	सितम्बर 2023
	बांसकंडी एफएल सह सिलचर सीजीडी	56		12	मार्च 2022	सितम्बर 2023
	गुवाहाटी-सिलचर	196		18	मार्च 2022	सितम्बर 2023
	पानीसागर-आइजोल	127		12	जून 2022	सितम्बर 2023
	अगरतला-नीपको स्परलाइन	6.4		8	मार्च 2022	सितम्बर 2023
	शिलांग सीजीडी	22		8	मार्च 2022	सितम्बर 2023

चरण	खंड का नाम	खंड की लंबाई (कि.मी.)	कुल लंबाई (कि.मी.)	व्यास (इंच)	पाइपलाइन निर्माण का लक्ष्य प्रारंभ	लक्ष्य समापन
	तुलामुरा फीडर लाइन	86		12	मार्च 2022	सितम्बर 2023
III	दीमापुर-कोहिमा-इंफाल	180	304	12	जून 2022	मार्च 2024
	सिलीगुड़ी-गंगटोक	124		12		मार्च 2024

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए भूमि, पर्यावरण और भू-भाग आदि से संबंधित निम्नलिखित गंभीर बाधाएं हैं:

राज्य	मुद्दे का प्रकार	मुद्दे का विवरण	स्थिति
असम	वन	सिलचर-पानीसागर खंड बिछाने के लिए करीमगंज जिले में वन मंजूरी (9.2 हेक्टेयर) में विलंब।	• ऑनलाइन आवेदन 10.08.20को प्रस्तुत किया गया था। • आईआरओ द्वारा राज्य सरकार से पहला प्रश्न 08.03.22कों किया गया था। आईआरओ द्वारा सीए भूमि के संबंध में राज्य सरकार से दूसरा प्रश्न 22.03.22को उठाया गया था। राज्य सरकार ने 06.05.2022को आईआरओ को दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यह प्रस्ताव आगामी आरईसी बैठक में रखा जाना है। चरण-1की मंजूरी प्रतीक्षित है।
अरुणाचल प्रदेश	वन	गोहपुर-ईटानगर खंड बिछाने के लिए वन मंजूरी (1.57 हेक्टेयर) में विलंब।	• ऑनलाइन आवेदन 29.01.21को प्रस्तुत किया गया था। • आईआरओ द्वारा पीडब्ल्यूडी एनएच अरुणाचल प्रदेश द्वारा एफसी उल्लंघन मामले के संबंध में राज्य सरकार से तीसरा प्रश्न 26.04.2022को उठाया गया था। पीडब्ल्यूडी एनएच अरुणाचल प्रदेश मामले को अलग करने के लिए आईजीजीएल द्वारा समर्थन मांगा गया है। चरण-I की मंजूरी प्रतीक्षित है।
मेघालय	वन	सिलचर खंड बिछाने के लिए वन मंजूरी (55 हेक्टेयर) में विलंब।	• ऑनलाइन आवेदन 10.08.20को प्रस्तुत किया गया था। • नोडल अधिकारी द्वारा 55हेक्टेयर के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। चरण-I की मंजूरी प्रतीक्षित है।

राज्य	मुद्दे का प्रकार	मुद्दे का विवरण	स्थिति
मिजोरम	राष्ट्रीय राजमार्ग	पानीसागर-आइजोल के 36 कि.मी. खंड को बिछाने के लिए लोक निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, आइजोल से अनुमति	• पानीसागर-आइजोल के 36कि.मी .खंड को बिछाने के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, आइजोल को दिनांक 19.11.2021को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। • संयुक्त दौरा 07.01.2022को पूरा हुआ। लाइसेंस शुल्क और बीजी के लिए मांग-पत्र प्रतीक्षित है।
मिजोरम	एसएच	पानीसागर-आइजोल के 47 कि.मी. खंड को बिछाने के लिए पीडब्ल्यूडी सड़क, आइजोल से अनुमति	• पनीसागर-आइजोल के 47कि.मी .खंड को बिछाने के लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण सड़क, आइजोल को दिनांक 10.01.2022को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। • संयुक्त दौरा 05.02.2022को पूरा हुआ। लाइसेंस शुल्क और बीजी के लिए मांग-पत्र प्रतीक्षित है।

पाइपलाइन ग्रिड असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम के राज्यों की राजधानियों/ प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर भारत के चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरेगा। पूरे पाइपलाइन मार्ग का लगभग एक तिहाई नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय राज्यों में जोखिम भरे पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरेगा। जबकि पहाड़ी इलाकों की विशिष्ट प्रकृति के कारण, पाइपलाइन के कुछ खंड केवल राजमार्ग के किनारे बिछाए जा रहे हैं, जो इसकी सीमित चौड़ाई और राजमार्ग के साथ किसी भी उपयोगिता कोरिडोर की अनुपलब्धता के कारण एक चुनौती भी है, इस प्रकार कुछ खंडों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए सड़क चौड़ीकरण के कार्य के पूरा होने का इंतजार करना होगा।

32 जिलों में फैले अपने लगभग 1656 कि.मी. लंबे विविध मार्ग मेंपाइपलाइन लगभग 1792 प्राकृतिक विशेषताओं, सुविधाओं और उपयोगिताओं जैसे नदियों, जंगलों, रेलवे, राजमार्गों, नहरों, अन्य सड़कों और जल निकायों को पार कर जाएगी। माजुली के पास प्रचंड ब्रह्मपुत्र नदी, सोनितपुर के पास भरेली नदी और लखीमपुर में सुबनसिरी नदी को पार करने के अलावा, पाइपलाइन असम में व्यापक क्रॉसिंग चौड़ाई वाली पांच प्रमुख नदियों से भी होकर गुजरेगी। इसके अलावा, पाइपलाइन मार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी वन मंजूरी की आवश्यकता होगी, जहां पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसके अलावा, एनईजीजी परियोजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती इसकी मौसम की स्थिति के कारण है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में काम करने के लिए केवल एक सीमित अवधि उपलब्ध

होती है। सभी चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद, आईजीजीएल पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है जिसे मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।

16. तत्पश्चात, समिति ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तेल कंपनियों द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् गैस कम्प्रेसर स्टेशनों, द्वितीयक टैंक फार्म परियोजना, रिफाइनरी परियोजना और पेट्रोलियम उत्पाद डिपो पर संक्षिप्त सारांश मांगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल और गेल ने लिखित उत्तर में बताया कि :-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(करोड़ रु. में)

सीएपीईएक्स आईओएडी – 22 मार्च तक की स्थिति								
क्र.सं.	परियोजना का नाम	डिवीजन	लागत	ब.प्रा. 2021-22	व्यय 2021-22	एससीएच भौतिक प्रगति	वास्तविक भौतिक प्रगति	पूरा होने की अंतरिम तिथि
रिफाइनरी डिवीजन								
1	ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना, जीआर	रिफा.डि.	557	62	86.4	100	99.8	पुनरुद्धार इकाइयाँ चालू की गईं। 22.11.21 को इंडसेलेक्ट जी यूनिट के लिए यांत्रिक समापन पूरा हुआ। अप्रैल 22 तक कमीशनिंग
2	सीआरयू के साथ गुवाहाटी रि. का विस्तार	रिफा.डि.	412	0	9.2	25.7	15.7	अक्टूबर '23
3	2 x 350 माउंडेड बुलेट की स्थापना	रिफा.डि..	36.9	9.4	6.8	100	99.7	अप्रैल 22
	कुल रिफाइनरियां		**1005.9**	**71.4**	**102.4**			
पाइपलाइन डिवीजन								
4	नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड	पाइपलाइन (जेवी)	9265	1553	1560	45.7	43.1	चरणों में (22 सितंबर से 24 मार्च तक)
ई&पी डिवीजन								
5	प्री-एनईएलपी ब्लॉक एए पी-ओएन-94/1, असम	बीडी-ई एंड पी	375.3	31.7	1.1	इस क्षेत्र से वर्तमान उत्पादन 35 एमएमएससीएफ/डी और 612 बीबी/डी की योजना की तुलना में 35 एमएमएससीएफ/डी गैस और 682 बीबीएल/डी कंडेनसेट है, जिसे आगे बढ़ाकर 55	1.3.2036 (वैधता ब्लॉक)

						एमएमएससीएफ/डी गैस करने और अतिरिक्त कुओं के साथ कंडेनसेट बढ़ाने की योजना है।		
6	ओएएलपी–1 ब्लॉक एए–ओएनएचपी–2017/12, असम	बीडी–ई एंड पी	40.9	0	0	2 डी भूकंपीय डेटा व्याख्या 1.10.2021 को शुरू हुई और प्रगति पर है।		23.11.2023 (अन्वेषण चरण वैधता)
7	एनईएलपी–III ब्लॉक एए–ओएनएन–2001/2, मिजोरम	बीडी–ई एंड पी	84.2	0	0	विस्तार के अनुरोध की डीजीएच में अभी जांच की जा रही है।		ब्लॉक वैधता समाप्त हो गई। एक्सटेंशन लागू किया गया।
8	डीएसएफ–II संविदा क्षेत्र, उमातारा, असम	बीडी–ई एंड पी	142.9	1	0.6	उमतरा संविदा क्षेत्र में ड्रिलिंग अभियान के लिए अपेक्षित कूप शीर्ष और एक्स–मास वृक्ष की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।		ब्लॉक वैधता: 3.12.2039 (8.2.2023: विकास अवधि)
	उप कुल ई एंड पी		643.3	32.7	1.8			
मार्केटिंग डिवीजन								
9	एलपीजी बीपी, उमियम	मार्केटिंग	75.5	17	0.3	7.2	6.8	01.12.2023
आईओएओडी में कुल आईओसीएल			10989.8	1674	1664.4			

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एचपीसीएल प्रमुख परियोजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। उनका विवरण निम्नानुसार है:

i. असम राज्य में नया डिपो: असम राज्य में नया डिपो स्थापित करने के लिए रु 377 . करोड़ की रकम अनुमोदित की गई है। इस परियोजना पर वर्तमान वित्त वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

ii. वर्तमान गुवाहाटी डिपो में एमएस/इथेनॉल सुविधाओं की क्षमताओं में वृद्धि: एमएस एवं इथेनॉल के अतिरिक्त केज के लिए 6.1 करोड़ का कोष अनुमोदित किया गया है। इथेनॉलभंडारण/संचलन एवं अन्य सुविधाओं के लिए ई 20विजन के तहत रु 8.75.करोड़ का अतिरिक्त निवेश योजनाकृत है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बीपीसीएलएमएस और एचएसडी की मांग को पूरा करने के लिए देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ईटानगर, इंफाल और दीमापुर में 3 रोड फेड पेट्रोलियम उत्पाद डिपो स्थापित करने की योजना बना रहा है। आज की तारीख ईटानगर और इम्फाल में भूमि की पहचान की गई है और उसे अंतिम रूप दिया गया है।

17. समिति द्वारा विशेष रूप से श्री तोखेहे येपथोमी के अभ्यावेदन के संबंध में किसी अन्य सूचना के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/बीपीसीएल ने लिखित उत्तर में बताया कि : –

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बीपीसीएल निम्नलिखित विवरणों के साथ मटिया में नया एलपीजी संयंत्र स्थापित कर रहा है;

i. बॉटलिंग क्षमता 30टीएमटीपीए 2) शिफ्ट ऑपरेशन (।
ii. कराउजल/भंडारण का विवरण 14.2 किलोग्राम और 19किलोग्राम का सिलेंडर भरने के लिए 10 यूनिट फिलिंग मशीन जिसका थोक भंडारण क्षमता ग्राउंड बुलेट से ऊपर 3x100एमटी की है।
iii. थोक एलपीजी स्रोत- हल्दिया आयात टर्मिनल से टैंक लॉरी के माध्यम से प्राप्त होने वाला उत्पाद।
iv. उन जिलों के नाम जिन्हें यह पूरा करेगा - बिक्री की आवश्यकता के अनुसार ,मुख्य रूप से निचले असम के जिले)गोलपारा ,धुबरी ,कोकराझार ,बोंगाईगांव ,बारपेटा ,बस्का , नलबाड़ी के जिले(और पश्चिमी मेघालय।
v. कमीशनिंग की अपेक्षित समय सीमा - 31.03.2024

टिप्पणियां/सिफारिशें

प्राथमिक ऊर्जा मिक्स का अवलोकन

18. समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल इत्यादि द्वारा दी गई जानकारी से यह नोट किया कि ऊर्जा किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है। समिति यह स्वीकार करती है कि ऊर्जा क्षेत्र हमारे देश के संदर्भ में अपनी बढ़ती ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा, देश में ऊर्जा की खपत वर्ष 2000 की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है और इस वृद्धि का कारण बढ़ती जनसंख्या और तेजी से आर्थिक विकास हैं जिसके चलते वर्ष 2020 तक भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत में कोयले की हिस्सेदारी 54.8%, तेल की 28.2%, प्राकृतिक गैस की 6.7%, परमाणु ऊर्जा की 1.3%, हाइड्रो ऊर्जा की 4.5% और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की 4.5% है।

19. समिति ने यह भी पाया कि भारत की 80% से अधिक ऊर्जा जरूरतों को केवल तीन ईंधनों अर्थात कोयला, तेल और ठोस बायोमास द्वारा पूरा किया जाता है, जिसके कारण भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और औद्योगिक क्षेत्र के बाद देश के ऊर्जा उत्पादन में भी कोयले का उपयोग अत्यधिक है। समिति ने आगे यह भी नोट किया कि जबकि परिवहन क्षेत्र भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में लगभग 6.7% की हिस्सेदारी के साथ तेल का सबसे बड़ा उपयोगर्ता है, प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में तेल की हिस्सेदारी लगभग 28% है और इसी के साथ उर्वरक क्षेत्र देश में गैस का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि पारंपरिक बायोमास जो मुख्य रूप से पशु अपशिष्ट और लकड़ी के कोयला के साथ ईंधन की लकड़ी होती है, वर्ष 2000 तक भारत में सबसे कोयले के बाद का बड़ा ऊर्जा स्रोत हुआ करता था और यद्यपि तब से समग्र ऊर्जा मांग दोगुनी हो गई है, फिर भी आधुनिक समय में खाना पकाने में उपयोग होने वाले तथा परिवहन और औद्योगिक ईंधन को सुगम बनाने के लिए किए गए प्रयासों, विशेष रूप से एलपीजी / सीएनजी / एच-सीएनजी और अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्पों के कारण ऊर्जा मिश्रण में पारंपरिक बायोमास की हिस्सेदारी काफी हद तक घट रही है। इसलिए, एलपीजी और सीएनजी आदि जैसे आधुनिक और स्वच्छ ईंधनों के समय पर और प्रभावी उपयोग, जिससे प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ओएमसी के साथ मिलकर एक व्यापक दीर्घकालिक हरित ईंधन नीति तैयार करे जिसमें ऊर्जा के पर्यावरण हितैषी और संधारणीय प्रकार के स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने की परिकल्पना की गई हो। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर ऐसी नीति तैयार करने के संबंध में की गई/की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा उत्पादन की असमर्थता के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि

20. समिति ने नोट किया कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम सहित) में निजी बॉटलर्स से बॉटलिंग सहित ओएमसीएस की कुल बॉटलिंग क्षमता थी 880 टीएमटी थी जो 702.6 टीएमटी की मौजूदा मांग से अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अलावा, अनुमोदित परियोजनाओं से संबंधित ओएमसीएस द्वारा यथा नियोजित पूर्वोत्तर में बॉटलिंग क्षमता वृद्धि की प्रक्रिया की बात की जाए तो आईओसीएल उमियम (मेघालय) में 30 टीएमटीपीए की क्षमता के साथ एक बॉटलिंग संयंत्र ला रहा है, जबकि बीपीसीएल भी मटिया, असम में 30 टीएमटीपीए की क्षमता वाला एक बॉटलिंग संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम सहित) में कुल बॉटलिंग क्षमता मौजूदा 880 टीएमटीपीए से बढ़कर 940 टीएमटीपीए हो जाएगी। समिति ने आगे नोट किया कि जहां तक ऐसी परियोजनाओं का प्रश्न है जो अनुमोदन और अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं, आईओसीएल द्वारा मिजोरम राज्य के मुआलखांग में 30 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में आईओसीएल के लिए एलपीजी के 12 टीएमटीपीए की बॉटलिंग के लिए एक निविदा भी अप्रैल, 2022 में आमंत्रित की गई है जिसकी अंतिम तिथि 27.05.2022 थी।

21. समिति को आशा है कि उपर्युक्त प्रस्तावों की परियोजना के अनुमोदन और अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम सहित) में कुल बॉटलिंग क्षमता काफी हद (982 टीएमटीपीए) तक बढ़ जाएगी और इस अपेक्षित क्षमता के 2024 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। समिति ने नोट किया कि यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा बॉटलिंग क्षमता वर्तमान मांग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है और नए बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना के साथ इसमें काफी वृद्धि होगी, समिति का सुविचारित मत है कि आवश्यकता पर अंतिम निर्णय लेते समय भविष्य की प्रगति और बाजार की मांग और आपूर्ति तंत्र और बॉटलिंग क्षमता वृद्धि (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों सहित) जो सभी सतत प्रक्रियाएं है, पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

22. अतएव समिति यह सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएमसीएस अपनी उपस्थिति में विस्तार करने की दिशा में मिलकर काम करें और समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की भविष्य की मांग को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो अधिशेष उसका उपयोग देश के अन्य क्षेत्रों में, आवश्यकता होने पर, एलपीजी आदि की आपूर्ति के लिए किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों के तहत एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के विस्तार के लिए, मजबूत वित्तीय दृष्टिकोण और लागत प्रभावशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के नजरिए से क्षमता वृद्धि की प्रविधियों का सहारा लिया जाए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएनजी/एच-सीएनजी स्टेशन की निराशाजनक उपस्थिति के साथ सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की दिशा में धीमी प्रगति</u>

23. समिति ने एचपीसीएल द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह नोट किया कि संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का विपणन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (सीजीडी) द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अथवा अपने स्वयं के सीएनजी स्टेशनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मौजूदा खुदरा

बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि सीजीडी कंपनी द्वारा इसे व्यवहार्य पाया जाता है, जो सीएनजी सुविधा के लिए अनुमोदन/सांविधिक अनुमति प्रदान करने के अध्यधीन है, मौजूदा एचपीसीएल बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी सुविधा प्रदान की जाती है। समिति ने आगे नोट किया कि अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार (सिक्किम सहित) पूर्वोत्तर राज्यों में सीएनजी सुविधा वाले एचपीसीएल रिटेल आउटलेट्स की बात करें तो इनकी संख्या त्रिपुरा में एचपीसी आरओएस के साथ केवल 2 है, जबकि पूर्वोत्तर (सिक्किम सहित) अन्य सभी राज्यों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। समिति ने आईओसीएल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे नोट किया कि आईओसीएल के मामले में भी, सीएनजी सुविधा के लिए अनुमोदन/सांविधिक अनुमति प्रदान करने के अध्यधीन, सीजीडी कंपनी द्वारा व्यवहार्य पाए जाने पर मौजूदा आईओसीएल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी सुविधा प्रदान की जाती है। समिति ने यह भी पाया कि समिति के समक्ष बीपीसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसके खुदरा आउटलेट्स पर त्रिपुरा (त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड) में 2 सीएनजी ऑपरेटिंग स्टेशन हैं और बीपीसीएल ने पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य 19 खुदरा आउटलेट साइटों की पेशकश की है, जिनमें से गुवाहाटी में केवल 6 रिटेल आउटलेट को प्राधिकृत सीजीडी कंपनी अर्थात् मैसर्स असम गैस कंपनी लिमिटेड एजीसीएल (एजीसीएल) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

24. समिति ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि आईओसीएल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को आवंटित करने वाली प्राधिकृत सीजीडी कंपनियों को अपने मौजूदा आरओएस पर स्थान की पेशकश के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओएस) पर सीएनजी स्टेशनों के संबंध में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार, (सिक्किम सहित) पूर्वोत्तर राज्यों में सीएनजी सुविधाओं वाले आईओसीएल आरओएस की संख्या 14 आरओएस की ही बनी हुई है, जो सभी त्रिपुरा में स्थित हैं। एचपीसीएल के संबंध में समिति यह नोट करके चिंतित है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके संबंधित स्टेशनों/केंद्रों/आरओएस का असमान और अव्यवस्थित वितरण हुआ है। समिति ने पूर्वोत्तर में सीएनजी स्टेशनों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आईओसीएल द्वारा व्यक्त की गई उत्सुकता की सराहना करते हुए महसूस किया कि पूरे क्षेत्र में एक व्यापक नेटवर्क प्राप्त करने और स्थापित करने की दिशा में बहुत सारी भूमि को कवर करने की आवश्यकता है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि आईओसीएल क्षेत्र में सीएनजी आरओएस के समान वितरण को प्राप्त करने की दिशा में एक समयबद्ध योजना तैयार करे और जनता/ अंतिम उपयोगकर्ताओं / उपभोक्ताओं को उनकी सुविधाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करे।

25. समिति का सुचिवारित मत है कि एचपीसीएल को प्रत्येक राज्य की राजधानी में कम से कम एक स्टेशन/केंद्र/आरओ खोलने की दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीएनजी सुविधा का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि जहां तक बीपीसीएल का प्रश्न है, उसे (त्रिपुरा में इसके 2 सीएनजी ऑपरेटिंग स्टेशनों के अलावा) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने खुदरा आउटलेट की उपस्थिति को बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 19 आरओएस साइटों, जिनमें से गुवाहाटी में 6 आरओ को एजीसीएल द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, की बीपीसीएल की पेशकश की सराहना करते हुए, यह इच्छा व्यक्त की कि सभी आरओ पर समयबद्ध तरीके से निर्णायक कार्रवाई की जाए।

26. समिति का मानना है कि दीर्घकाल में, विश्व स्तर पर सीएनजी/एच-सीएनजी को स्वच्छ ऊर्जा अंतरण के लिए लागत-प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और कम कार्बन उत्सर्जन विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इसलिए ग्रिड संतुलन क्षमताओं के संबंध में, प्राकृतिक गैस आधारित बिजली में त्वरित रैंप-अप/रैंप-डाउन के अंतर्निहित लाभ हैं और इस प्रकार यह देश भर में बढ़ते नवीकरणीय स्रोतों के एकीकरण का विकल्प प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि यद्यपि सरकार प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.7% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए समेकित प्रयास कर रही है और इस प्रकार, अन्य गैस अवसंरचना, शहरी गैस वितरण नेटवर्क और डी-गैसीकरण टर्मिनलों सहित एक राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड विकसित कर रही है। इसके अलावा, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीएनजी/एच-सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों, मौद्रिक और सब्सिडी सहायता के माध्यम से विभिन्न दीर्घकालिक नीतिगत पहलें भी किए जाने की आवश्यकता है।

27. इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार केंद्रित नीतिगत उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में घरेलू गैस का मिश्रण प्रदान करके सीएनजी/एच-सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता हो और प्राकृतिक गैस ग्रिड और आयात टर्मिनलों के एकीकृत विकास के माध्यम से आयात (यदि संभव हो) भी हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार सभी हितधारकों के साथ जैव-ईंधन, कोयला गैसीकरण, हाइड्रोजन उत्पादन आदि जैसे अपरंपरागत माध्यम से सीएनजी और एच-सीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ओएमसी के उपायों का भी पता लगाए, जिससे अंतिम उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों द्वारा गैस का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके और कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, समिति चाहती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीएनजी/एच-सीएनजी की बेहतर उपलब्धता के लिए उसका उत्पादन, वितरण और क्षमता बढ़ाने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल आदि जैसी सभी ओएमसी के साथ सहयोग और कार्य करे। समिति इस प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर उपर्युक्त सभी पहलुओं पर उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहेगी।

उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) के अंतर्गत 'प्राकृतिक गैस पाइपलाइन' बिछाना और इसकी संपर्कता (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड - पीएनजीआरबी के अधीन भी)

28. समिति नोट करती है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09 फरवरी, 2019 को एनईजीजी की आधारशिला रखी गई थी और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनईजीजी परियोजना के लिए 5,559 करोड़ रुपये (परियोजना की अनुमानित कुल लागत का 60 प्रतिशत अर्थात 9,265 करोड़ रुपये) की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/पूंजीगत अनुदान को स्वीकृति दी थी। एनईजीजी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पीएनजीआरबी से अंतिम स्वीकृति 17 नवंबर 2020 को प्राप्त हुई और साथ ही इसके कार्यान्वयन के लिए आईजीजीएल बोर्ड से 6 जून 2020 को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा गेल द्वारा दिए गए उत्तर से पाया कि 09 फरवरी, 2016 को उत्तर-पूर्व भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जारी करने के साथ ही उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए 19 जून 2018 को नीति आयोग से अनुमोदन के पश्चात, 20 जुलाई 2018 को समान इक्विटी योगदान के साथ पांच पीएसयू द्वारा एक संयुक्त उद्यम समझौता भी निष्पादित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) पाइपलाइन परियोजना को लागू करने के लिए 10 अगस्त 2018 को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को शामिल किया गया।

29. समिति ने यह भी नोट किया कि आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, ओआईएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को सरकार ने 9,265 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिष्ठित नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है। गेल द्वारा ऊर्जा गंगा योजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के माध्यम से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम जैसे सभी आठ उत्तर-पूर्व राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए 4.75 एमएमएससीएमडी (मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रति दिन) की डिजाइन क्षमता वाले 1656 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति ने यह भी नोट किया कि ग्रिड को उत्तर-पूर्व के टिकाऊ और व्यवहार्य गैस स्रोतों से भी जोड़ा जाएगा।

30. समिति नोट करती है कि सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और पाइप से प्राकृतिक गैस प्रदान करके उत्तर-पूर्व क्षेत्र/नेटवर्क में शहरी गैस वितरण का विस्तार करने की दिशा में विभिन्न प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल) जो इसके लिए असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और गेल गैस लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, को कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों और कामरूप और कामरूप महानगरीय जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों (जीएएस) में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा 9वें सीजीडी बोली दौर में अधिकृत किया गया है। इसके अलावा गेल (इंडिया) लिमिटेड की बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल), जो अभी भी निर्माणाधीन है और 2023 के मध्य तक चालू होने की संभावना है, के माध्यम से कामरूप और कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स भौगोलिक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी और गैस स्रोत की अनुपस्थिति में, पीबीजीपीएल वर्तमान में मध्यम घनत्व पॉलीथीन (एमडीपीई) पाइपलाइनों के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षण और मार्ग-सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है।

31. समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि गेल की बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से कामरूप और कामरूप मेट्रोपॉलिटन भौगोलिक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का मुद्दा अभी भी विकास के चरण में है क्योंकि इससे संबंधित सहायक कार्य चल रहे हैं और इसके 2023 के मध्य तक ही चालू होने का अनुमान है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि इस पाइपलाइन को समय पर पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए और गैस स्रोत की अनुपस्थिति की आगे की भरपाई के लिए, पीबीजीपीएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमडीपीई पाइपलाइन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और मार्ग सर्वेक्षण से संबंधित कार्य बिना किसी देरी के पूरा हो जाए। समिति यह भी नोट करती है कि पीबीजीपीएल सीएनजी

स्टेशनों को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए पहले से ही आवश्यक कैस्केड, बूस्टर कंप्रेसर, ऑनलाइन कंप्रेसर आदि जैसे कई आवश्यक उपकरणों की खरीद का कार्य कर रही है और इसलिए, पीबीजीपीएल को समग्र कार्य निविदा के तहत सीएनजी स्टेशन के निर्माण और स्टील पाइप बिछाने के लिए कार्य अनुबंध से संबंधित सभी मुद्दों को तुरंत हल करने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय और संबंधित ओएमसीएस इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में 'प्रगति रिपोर्ट' से अवगत करायें।

32. समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिला के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में पीबीजीपीएल वर्तमान में गेल के माध्यम से ओएनजीसी से प्राकृतिक गैस खरीद रही है और लगभग 382 घरों में पाइप प्राकृतिक गैस की बिक्री शुरू कर चुकी है। समिति अब तक हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह इच्छा भी व्यक्त करती है कि उल्लिखित उद्देश्यों और योजना के अनुसार पीबीजीपीएल को उक्त भौगोलिक क्षेत्रों पर अपनी योजना को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के साथ-साथ नियमित और निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। समिति ने आगे नोट किया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (त्रिपुरा सरकार का उपक्रम) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (असम सरकार का उपक्रम) के संयुक्त उपक्रम त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल) को अगरतला, गोमती और पश्चिम त्रिपुरा के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत किया गया है और समिति यह जानकर संतुष्ट है कि टीएनजीसीएल ने उपरोक्त 3 भौगोलिक क्षेत्रों में कुल 24 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 54,724 घरेलू परिवारों को पीएनजी भी उपलब्ध करा रहा है, जिनमें अगरतला के 44,738 परिवार और पश्चिम त्रिपुरा जिले के 9,986 परिवार भी शामिल हैं। समिति गोमती जिले में इस्पात नेटवर्क और पीएनजी कनेक्टिविटी के विकास के मुद्दे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है जिसे अभी शुरू किया जाना है क्योंकि टीएनजीसीएल को सीजीडी विस्तार के लिए आवश्यक पीएनजीआरबी विनिर्दिष्ट शुष्क गैस अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। समिति यह नोट करने को बाध्य है कि शुष्क गैस प्राप्त करने के बाद ही गोमती जिले में डीपीएनजी कनेक्शनों का कार्य शुरू होगा और टीएनजीसीएल पीएनजीआरबी में प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार गोमती जिले में 11,514 डीपीएनजी कनेक्शन प्रदान करने में सक्षम होगा। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सभी संबंधित एजेंसियों को सीजीडी विस्तार के लिए आवश्यक शुष्क गैस की निर्धारित डिलीवरी के साथ-साथ इस्पात नेटवर्क और पीएनजी कनेक्टिविटी को समय पर पूरा करने और विकास करने की दिशा में अपना परिचालन बढ़ाना चाहिए।

33. समिति यह भी स्वीकार करती है कि उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड परियोजना को सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता, मार्ग भू-भाग, राजमार्ग गलियारा चौड़ीकरण कार्यों के साथ लिंकेज, कार्य निष्पादन में कठिनाई आदि के आधार पर तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति का मत है कि एनईजीजी की पूर्ण सफलता से औद्योगिक,

वाणिज्यिक, घरेलू उपयोग के लिए और परिवहन क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की आसान पहुंच बढ़ाने और पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सुविधा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पूर्ण हाइड्रोकार्बन क्षमता का लाभ उठाने की दिशा में एक भारी सफलता होगी।

34. समिति एनईजीजी परियोजना के संबंध में अंतर्निहित कठिनाइयों को भी स्वीकार करती है क्योंकि पाइपलाइन ग्रिड असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम के राज्यों की राजधानियों/प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए उत्तर-पूर्व भारत के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा, पूरे पाइपलाइन मार्ग का लगभग एक तिहाई नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय राज्यों में खतरनाक पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरेगा। समिति यह भी नोट करती है कि पहाड़ी इलाकों की विशिष्ट प्रकृति के कारण, पाइपलाइन के कुछ खंडों को केवल राजमार्ग के किनारे बिछाया जा रहा है जो उसकी सीमित चौड़ाई और राजमार्ग के साथ किसी भी उपयोगिता गलियारे की अनुपलब्धता के कारण भी एक चुनौती है। इसके अलावा कुछ खंडों में पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। समिति एनईजीजी परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करती है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि केन्द्र सरकार के तत्वावधान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वन स्वीकृतियों में विलंब, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से अनुमति आदि जैसी विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए उत्तर-पूर्व राज्यों जहां पाइपलाइन बिछाई जानी है, की राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना चाहिए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि चूंकि पाइपलाइन पांच प्रमुख नदियों और वन क्षेत्रों का सामना करते हुए जाएगी, इसलिए उचित देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों सहित प्राकृतिक वास को क्षति न पहुंचे। समिति सभा में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर इस संबंध में हुई प्रगति से भी अवगत होना चाहेगी।

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2022
21 अग्रहायण, 1944(शक)

गोपनीय

याचिका समिति की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

याचिका समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की पच्चीसवीं बैठक सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 1500 बजे से 1700 बजे तक, समिति कक्ष 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध (विस्तार), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री हरीश द्विवेदी - अध्यक्ष

सदस्य

2. **श्री एंटो एन्टोनी**
3. **श्री हनुमान बेनीवाल**
4. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक**
5. **डॉ जयंत कुमार रॉय**
6. **श्री अरविन्द सावंत**
7. **श्री बृजेन्द्र सिंह**
8. **श्री सुनील कुमार सिंह**

सचिवालय

1. **श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव**
2. **श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक**

2. प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने निम्न प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विचार किया:-

(i) पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर श्री तोखे येपथोमी से प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिवेदन;

(ii) *** *** *** *** *** ***

(iii) *** *** *** *** *** ***

(iv) *** *** *** *** *** ***

(v)	***	***	***	***	***	***
(vi)	***	***	***	***	***	***
(vii)	***	***	***	***	***	***

4. उपर्युक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद समिति ने मामूली संशोधनों के बाद इन प्रतिवेदनों को स्वीकृत किया। समिति ने अध्यक्ष को प्रतिवेदनों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने और उन्हें सदन में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

***